न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 23/2019

1 1 भंवरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी दूड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2 किशनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी दूड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
3 सायरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी दूड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू । – फौत
3/1 बाल कंवर धर्मपत्नी स्व. सायरसिंह
3/2 राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. सायरसिंह
3/3 राजपाल सिंह पुत्र स्व. सायरसिंह
3/4 सुरेश कंवर पुत्री स्व. सायरसिंह
जाति राजपूत निवासीगण दूड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
4 महाबीर सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी दूड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 छगनसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी दूड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
2 सहकारी भूमि विकास बैंक लि झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक
3 मोहरी देवी पत्नी मोहनसिंह जाति दारोगा निवासी दूड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.। फौत
3/1 नरेश कुमार उम्र 44 वर्ष पुत्र स्व. मोहनसिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3/2 गंगा कंवर उम्र 49 वर्ष पत्नी स्व. श्री पालसिंह पुत्रवधु स्व. मोहनसिंह
3/3 गेद कंवर उम्र 47 साल पुत्री स्व. मोहनसिंह पत्नी स्व. रामसिंह
3/4 प्रेम कंवर उम्र 40 साल पुत्री स्व. मोहनसिंह पत्नी श्री शिम्भुसिंह
3/5 उषाकंवर उम्र 25 साल पुत्री स्व. श्रीपाल सिंह पौत्री स्व मोहनसिंह
3/6 भवानीसिंह उम्र 23 साल पुत्र स्व. श्रीपालसिंह पौत्र स्व. मोहनसिंह
3/7 रतनसिंह उम्र 21 साल पुत्र स्व. श्रीपालसिंह स्व. मोहनसिंह
समस्त जाति दरोगा निवासीगण दूड़िया तहसील उदयपुरवाटी हाल गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2018
मुकदमा छगनसिंह बनाम भंवरसिंह वगैरह मु.नं.
96/2012 एस.डी.ओ उदयपुरवाटी जिसमें बिना
तनकी बनाये, बिना साक्ष्य लिये सिर्फ कमिश्नर
रिपोर्ट पर ही दावा रिकार्ड के विरूद्ध
डिक्री कर दिया

उपस्थिति :

1. श्री विद्याधर जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 24.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा 96/2012 में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 337, 359, 727, 1138/726 वाके ग्राम दुड़िया का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने न तो वाद में तनकीयात बनाई है न ही वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली है सिर्फ कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर दावा डिक्री किया गया है खसरा नम्बर 1138/726 की सीमा पर मनभरी देवी दरोगा के पक्के आवासीय मकान बने होना ओर पानी की पुले झूंपा, लकड़ी का खोखा कुछ पत्थर आदि मनभरी देवी का होने के बाद भी राजस्व रिकार्ड के विरूद्व वादी छगन सिंह को खसरा नम्बर 1138/726 को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जो विधि के एकदम विरूद्व है कमिश्नर मौके की रिपोर्ट पेश कर सकता है कब्जा किस का है यह बताने का अधिकार कमिश्नर को नहीं है कब्जे के बारे में निर्णय करने का अधिकार न्यायालय को ही होता है। खसरा नम्बर 727 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1138/726 रकबा 0.37 हैक्टेयर अपीलान्ट के पिता नारायणसिंह के अकेले के कब्जे काश्त व खातेदारी का है जब से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया तब से तमाम जमाबन्दीया, गिरदाबरियां अपीलान्ट अपने पूर्वज पिता नारायणसिंह व अपीलान्ट के नाम से है जो उनकी व्यक्तिगत स्वयं को प्राप्त हुई खातेदारी है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

लेकिन राजस्व रिकार्ड के विरूद्ध विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के इन दोनों खसरा नम्बरो का वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जो विधि विरूद्ध है। खसरा नम्बर 337 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 359 रकबा 0.26 हैक्टेयर के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय ने कोई किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया है चार खसरा नम्बर जिनमें खसरा नम्बर 337, 359, 727, 1138/726 के सम्बन्ध में वाद पेश किया गया था लेकिन विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 727 व 1138/726 के संबन्ध में ही निर्णय दिया है खसरा नम्बर 337 व 359 के सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया है। प्रश्नगत दोनों खसरा नम्बर की खातेदारी प्रारम्भ से लेकर आज तक अपीलांट के व अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम रही है और वे रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है सिर्फ कमिश्नर द्वारा किसी का कब्जा दिखाने मात्र से न तो किसी की खातेदारी खत्म की जा सकती है और न ही किसी को खातेदारी कब्जे के आधार पर दी जा सकती है और कमिश्नर को कब्जे के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने का हक अधिकार है इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि तहसीलदार उदयपुरवाटी की मौका रिपोर्ट के अनुसार ' ग्राम दुड़ियां के भूमि खसरा नम्बर 727 रकबा 0.37 हैक्टेयर पर छगनसिंह पुत्र हनुमानसिंह के कब्जे का पाया गया जिस पर पिछले 6–7 वर्षो से काश्त नहीं हो पा रही है। खसरा नम्बर 1138/726 रकबा 0.37 हैक्टेयर का कब्जा मौके पर स्पष्ट नहीं है क्योंकि खसरा नम्बर 726 एवं 1138/726 की सीमा पर मनभरी देवी पत्नी रामेश्वर दरोगा के पंक्के आवासीय मकान बने हुए है जो 7.5 मीटर खसरा नम्बर 1138/726 में बने हुए है इसके अलावा खसरा नम्बर 1138/726 मे एक पानी के पुले का झूंपा एक लकड़ी का खोखा, कुछ पत्थर आदि भी मनभरी दरोगा के है। राजस्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

रिकार्ड जमाबंदी ग्राम दुड़िया सम्वत 2072 से 2075 के खाता संख्या 47 के अनुसार खसरा नम्बर 727 एवं 1138/726 की खातेदारी किशनसिंह शायरसिंह महावीर सिंह पिता नारायणसिंह हिस्सा 3/4 जाति राजपुत व मोहरी देवी पत्नी मोहनसिंह दरोगा हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। उकत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 727 पर तो वादी का कब्जा स्पष्ट है लेकिन 1138/726 की सीमा पर मनभरी देवी पत्नी रामेश्वर दरोगा के मकान बने हुए है। लेकिन उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का एवं प्रतिवादीया संख्या 6 का कब्जा नहीं बताया गया है। इससे जाहिर होता है कि उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि पर वादी छगनसिंह का ही कब्जा काश्त है तथा उक्त वादग्रस्त भूमियां बाहमी विभाजन के अनुसार वादी के हिस्से में आई हुई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने न तो वाद में तनकीयात बनाई है न ही वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली है सिर्फ कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर दावा डिक्री किया गया है खसरा नम्बर 1138/726 की सीमा पर मनभरी देवी दरोगा के पक्के आवासीय मकान बने होना ओर पानी की पुले झूंपा, लकड़ी का खोखा कुछ पत्थर आदि मनभरी देवी का होने के बाद भी राजस्व रिकार्ड के विरूद्ध वादी छगन सिंह को खसरा नम्बर 1138/726 को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जो विधि के एकदम विरूद्ध है कमिश्नर मौके की रिपोर्ट पेश कर सकता है कब्जा किस का है यह बताने का अधिकार कमिश्नर को नहीं है कब्जे के बारे में निर्णय करने का अधिकार न्यायालय को ही होता है। खसरा नम्बर 727 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1138/726 रकबा 0.37 हैक्टेयर अपीलान्ट के पिता नारायणसिंह के अकेले के कब्जे काश्त व खातेदारी का है जब से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया तब से तमाम जमाबन्दीया, गिरदावरियां अपीलान्ट अपने पूर्वज पिता नारायणसिंह व अपीलान्ट के नाम से है जो उनकी व्यक्तिगत स्वयं को प्राप्त हुई खातेदारी है लेकिन राजस्व रिकार्ड के विरूद्ध विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के इन दोनों खसरा नम्बरो का वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जो विधि विरूद्ध है। खसरा नम्बर 337 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 359 रकबा 0.26 हैक्टेयर के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय ने कोई किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया है चार खसरा नम्बर जिनमें खसरा नम्बर 337, 359, 727, 1138/726 के सम्बन्ध में वाद पेश किया गया था लेकिन विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 727 व 1138/726 के संबन्ध में ही निर्णय दिया है खसरा नम्बर 337 व 359 के सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया है। प्रश्नगत दोनों खसरा नम्बर की खातेदारी प्रारम्भ से लेकर आज तक अपीलांट के व अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम रही है और वे रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है सिर्फ कमिश्नर द्वारा किसी का कब्जा दिखाने मात्र से न तो किसी की खातेदारी खत्म की जा सकती है और न ही किसी को खातेदारी कब्जे के आधार पर दी जा सकती है और कमिश्नर को कब्जे के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने का हक अधिकार है इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वाद कथन व जवाब दावें के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

24

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर